प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4156 /17

आदेश सुरक्षित किया गया :17.06.2025

आदेश पारित किया गया गयाः01.07.2025

श्रीमती. निर्मला देवी पति द्वारिका प्रसाद तिवारी, 52 वर्ष,निवासी केवी पावर ग्रिड, सब स्टेशन भाटपारा, विलेज आलेसुर, पोस्ट गुर्रा, पुलिस थाना भाटपारा, तहसील भाटपारा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के द्वारा, एस. ई. सी. एल. मुख्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. मुख्य महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, गेवरा परियोजना, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

3. उप महाप्रबंधक, खान खान प्रबंधक, गेवरा परियोजना, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जिलाः कोरबा, छत्तीसगढ़।

4. वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र, लिमिटेड, गेवरा परियोजना, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतुः--श्री आलोक बख्शी, सुश्री कुसुम लालचंदानी तथा श्री शिवांश गोपाल अधिवक्तागण,

उत्तरवादी हेतुः--श्री सुधीर बाजपेयी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ –माननीय संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/07/2017 (अनुलग्नक पी/1) के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा अपनी भूमि के अधिग्रहण के बदले में अपने पुत्र को रोजगार देने का दावा दो आधारों पर खारिज कर दिया गया है, पहला, कि उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (इसके बाद, "1957 का अधिनियम") की धारा 9 के तहत 07/11/1981 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 19/10/1981 के जारी होने की तिथि पर उसके नाम पर नामांतरण नहीं किया गया था और दूसरा, कि याचिकाकर्ता के पुत्र अर्थात उमेश कुमार तिवारी का जन्म अधिग्रहण की तिथि के बहुत बाद 30/01/1985 को हुआ था और इस प्रकार, वह अधिग्रहण की तिथि पर याचिकाकर्ता का आश्रित नहीं था, इसलिए, उसे रोजगार नहीं दिया जा सकता है।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) इस मामले का इतिहास उतार–चढ़ाव भरा रहा है और यह मुकदमेबाजी का तीसरा दौर है। 1957 के अधिनियम की धारा 9(1) के तहत 07/11/1981 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 19/10/1981 के आधार पर, याचिकाकर्ता की भूमि खसरा संख्या 704/4 क्षेत्रफल 0.21 एकड़, जो ग्राम दीपका में स्थित है, को उत्तरवादी एसईसीएल के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था और उसी के संबंध में क्षतिपूर्ति उसे 11/09/1985 को बिना किसी आपत्ति के उक्त भूमि का स्वत्व धारक मानते हुए भुगतान किया गया था, हालांकि, उसे कोई रोजगार नहीं दिया गया था लेकिन उसे पता चला कि उत्तरवादी ने 10/05/1993 के आदेश द्वारा नंद किशोर जायसवाल नामक एक व्यक्ति को नियुक्ति दी थी, जो उसका पुत्र होने का दिखावा कर रहा था।

(ii) इसके बाद याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी एसईसीएल के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया कि नंद किशोर जायसवाल ने उसका बेटा बनकर उसकी जमीन के अधिग्रहण के बदले में धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की है। लेकिन चूंकि उत्तरवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2621/2001 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसका अंतिम रूप से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10/03/2016 के आदेश द्वारा निराकरण किया गया, जिसमें उत्तरवादी एसईसीएल को उक्त नंद किशोर जायसवाल के खिलाफ जांच करने और उसके पुत्र के लिए एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया गया।

(iii) तदनुसार, मामले पर उत्तरवादीगण द्वारा विचार किया गया और जांच के बाद पाया गया कि उक्त नंद किशोर जायसवाल ने याचिकाकर्ता की भूमि के अधिग्रहण के बदले में धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की थी और

दिनांक 20/22.10.2016 के आदेश द्वारा, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, हालांकि, आगे कोई आपत्ति नहीं ली गई थी।

(iv) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपने बेटे को रोजगार देने के लिए उत्तरवादी एसईसीएल के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया जिसके बाद उसने फिर से इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2452/2015 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसके तहत इस न्यायालय द्वारा उत्तरवादी एसईसीएल को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता के अपने पुत्र को रोजगार देने के दावे पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26/05/2017 द्वारा शीघ्र निर्णय ले।

(v) अंततः, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और दिनांक 06/07/2017 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश द्वारा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो आधारों पर रोजगार के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया, जिसमें पहला यह था कि, अधिसूचना दिनांक 19/10/1981 की तिथि पर, जो 1957 के अधिनियम की धारा 9 के तहत 07/11/1981 को प्रकाशित हुई थी, याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि की भूमिस्वामी नहीं थी क्योंकि उसका नाम बाद में 07/07/1982 को अभिलेखों में परिवर्तित हो गया था और दूसरा यह कि, उसके पुत्र को भी रोजगार नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि के अधिग्रहण की तिथि पर उसका जन्म नहीं हुआ था और इस प्रकार, वह याचिकाकर्ता का आश्रित नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी ने प्रस्तुत किया कि, यह सत्य है कि याचिकाकर्ता अधिग्रहण की तिथि पर दीपका गांव में स्थित खसरा संख्या 704/4 क्षेत्रफल 0.21 एकड़ भूमि की भूमिस्वामी थी, क्योंकि उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा स्वयं उसे उक्त भूमि का स्वामित्वधारी मानते हुए दिनांक 11/09/1985 को क्षतिपूर्ति दिया गया था, इसलिए उन्हें इस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज नहीं करना चाहिए था कि वह अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्रहित भूमि की भूमिस्वामी नहीं थी।उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता की अधिग्रहित भूमि के बदले में नंद किशोर जायसवाल नामक व्यक्ति को धोखाधड़ी से नौकरी दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी और अंततः उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए, उत्तरवादी एसईसीएल एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा हुआ है और इस स्तर पर, वे याचिकाकर्ता के पुत्र को नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते है क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के परिवार का एक सदस्य अधिग्रहण की तिथि पर लागू पुनर्वास नीति के आधार पर नौकरी का हकदार है, इसलिए, यह विवादित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।वह अपने तर्क के समर्थन में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा **गुनाराम मुर्मू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** 1 मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते है।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेयी ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अधिग्रहण की तिथि पर, याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि की भूमिस्वामी नहीं थी क्योंकि उसका नाम अभिलेखों में बाद में 07/07/1982 को परिवर्तित हो गया था और चूँकि वह 1957 के अधिनियम की

धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 19/10/1981, जो 07/11/1981 को प्रकाशित हुई थी, जारी होने की तिथि पर उक्त भूमि की भूमिस्वामी नहीं थी, इसलिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार का हकदार नहीं है।इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के पुत्र उमेश कुमार तिवारी का जन्म उपरोक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद 30/01/1985 को हुआ था, इसलिए उसे रोजगार नहीं दिया जा सकता और यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।वह **मेसर्स एडलवाइस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम आर पेरुमलस्वामी एवं अन्य 2 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शिवकुमार भार्गव 3** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता की भूमि, जिसका खसरा क्रमांक 704/4 क्षेत्रफल 0.21 एकड़ है, जो ग्राम दीपका में स्थित है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्तरवादी एसईसीएल के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया था और भूमि अधिग्रहण के बदले में उत्तरवादी एसईसीएल के दो दायित्व थे;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहली क्षतिपूर्ति भुगतान करना, जो उत्तरवादीगण द्वारा बिना किसी विरोध या आपत्ति के 11/09/1985 को याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया था, यह स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता संबंधित भूमि का मालिक है और दूसरा पुनर्वास नीति के अनुसार याचिकाकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार प्रदान करना, जो उनके द्वारा नंद किशोर जायसवाल नामक एक व्यक्ति को भी प्रदान किया गया था, जिसने स्वयं को याचिकाकर्ता का पुत्र/रिश्तेदार बताया था, तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2621/2001 में पारित दिनांक 10/03/2016 के आदेश के अनुसरण में, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने उत्तरवादी एसईसीएल को उक्त नंद किशोर जायसवाल के खिलाफ जांच करने और याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था, हालांकि उत्तरवादीगण ने अंततः उक्त नंद किशोर जायसवाल को धोखाधड़ी करके याचिकाकर्ता की अधिग्रहित भूमि के बदले में रोजगार प्राप्त करने का दोषी पाते हुए दिनांक 20–22/10/2016 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया। लेकिन याचिकाकर्ता के बेटे उमेश कुमार तिवारी को रोजगार उपलब्ध कराने के दावे को स्वीकार करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की।इसके बाद पुनः याचिकाकर्ता इस न्यायालय में आया और दूसरी रिट याचिका संख्या 2452/2017 दायर की, जिसमें दिनांक 26/05/2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उत्तरवादी एसईसीएल को याचिकाकर्ता के दावे पर शीघ्रता से विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया और अंततः, दिनांक 07/07/2017 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा, याचिकाकर्ता के दावे को उत्तरवादीगण द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर खारिज कर दिया गया, जैसा कि पहले कंडिका में कहा गया है।

7. याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) में दर्ज पहला निष्कर्ष पूरी तरह से अस्वीकार्य प्रतीत होता है क्योंकि विचाराधीन भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित की गई थी और उनके द्वारा याचिकाकर्ता को 11/09/1985 को अर्जित भूमि का स्वामी मानते हुए उचित क्षतिपूर्ति पहले ही भुगतान किया जा चुका है और आक्षेपित आदेश से पहले, उत्तरवादीगण द्वारा अर्जित भूमि पर याचिकाकर्ता के स्वामित्व और हक के संबंध में ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया है और बाद में दाखिल खारिज, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता के मामले पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

8. विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि स्वामित्व के अलावा, नामांतरण, कब्जे का एक साक्ष्य है और राजस्व अभिलेखों में संपत्ति का नामांतरण न तो संपत्ति पर स्वामित्व का सृजन करता है, न ही उसे समाप्त करता है और न ही स्वामित्व पर इसका कोई अनुमानित मूल्य होता है।यह केवल भूमि पर कब्जे का साक्ष्य है।इस प्रकार, वर्तमान मामले में, केवल इसलिए कि दाखिल खारिज अधिग्रहण की तारीख के बाद और 1957 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ है, इससे संबंधित भूमि पर याचिकाकर्ता के स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह दाखिल खारिज द्वारा उसके स्वामित्व को नियमित कर देगा, क्योंकि उत्तरवादीगण ने उसे अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व धारक मानते हुए क्षतिपूर्ति भी दिया है। इसलिए, इस आधार पर, पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उत्तरवादी एसईसीएल लाभार्थी है और याचिकाकर्ता की भूमि के अधिग्रहण पर, उसे पहले ही क्षतिपूर्ति दिया जा चुका है, इस प्रकार, उत्तरवादीगण द्वारा आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी / 1) में उठाया गया यह आधार कि चूंकि याचिकाकर्ता का नाम 1957 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिसूचना जारी करने की दिनांक अर्थात 19/10/1981 को अभिलेख में नामांतरण नहीं किया गया था, जो 07/11/1981 को प्रकाशित हुआ था, वह अधिग्रहित भूमि की मालिक नहीं थी, पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित आदेश को रद्द करने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा दर्ज की गई दूसरी खोज, कि याचिकाकर्ता के पुत्र अर्थात उमेश कुमार तिवारी, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले में रोजगार देने के लिए नामित किया गया था, का जन्म 30/01/1985 को हुआ था, अर्थात अधिग्रहण की तारीख के बाद और वह उक्त तारीख को उन पर आश्रित नहीं थे और उन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकता, भी टिक नहीं सकती क्योंकि यह उत्तरवादी थे जिन्होंने नंद किशोर जायसवाल नामक व्यक्ति को रोजगार देने में गलती की थी, जिसने खुद को याचिकाकर्ता का पुत्र/करीबी रिश्तेदार बताया था और रिट याचिका संख्या 2621/2001 में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10/03/2016 में दिए गए निर्देश के अनुसरण में, उत्तरवादीगण ने मामले की जांच की और नंद किशोर जायसवाल को धोखाधड़ी करने का दोषी पाते हुए, उन्हें दिनांक 20–22/10/2016 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपने बेटे को रोजगार देने के लिए उत्तरवादी के समक्ष फिर से एक आवेदन दायर किया लेकिन चूंकि प्रतिवादियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, याचिकाकर्ता ने फिर से इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2452/2017 दायर की, जिसमें प्रतिवादी एसईसीएल को

याचिकाकर्ता के मामले पर शीघ्र विचार करने के निर्देश जारी किए गए और अंततः, याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने के बाद, उसके दावे को आरोपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा खारिज कर दिया गया है।

उत्तरवादी एसईसीएल को याचिकाकर्ता को समय पर रोजगार की पेशकश करनी चाहिए थी और उस समय, याचिकाकर्ता स्वयं को या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को नामांकित कर सकती थी।केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता का पुत्र संबंधित भूमि के अधिग्रहण की दिनांक को पैदा नहीं हुआ था, उसके दावे को अब खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उत्तरवादी एसईसीएल को अनुचित लाभ मिलेगा और उन्हें अपने स्वयं के गलत काम का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता के मामले को उसकी भूमि के अधिग्रहण की तिथि पर रोजगार देने के लिए नहीं माना गया था और उत्तरवादी एसईसीएल ने नंद किशोर जायसवाल नामक व्यक्ति को गलत तरीके से रोजगार दिया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में बर्खास्त कर दिया गया था और याचिकाकर्ता के रोजगार के मामले पर उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा पहली बार 06/07/2017 को विचार किया गया था, अर्थात जिस दिनांक को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) पारित किया गया था, जिससे उसका दावा खारिज कर दिया गया था और इस तिथि तक, याचिकाकर्ता का पुत्र पहले से ही वयस्क हो गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता का दावा 06/07/2017 को पूरी तरह से अस्तित्वहीन आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादी एसईसीएल, कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करना उसका कर्तव्य है।**मोहन महतो बनाम सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड एवं अन्य** 4 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी भी है, पर नाराजगी जताई है और कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य है और इसलिए उसे निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करना चाहिए।निम्नलिखित टिप्पणी की गई:---

"17. इसमें न तो कोई संदेह है और न ही कोई विवाद है कि नाबालिग को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले पर एन.सी.डब्ल्यू.ए.वी. की खंड 9.5.0 के उप-खंड iii के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था उक्त प्रावधान के अनुसार, अपीलकर्ता का नाम सक्रिय रोस्टर में रखा जाना था।उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सक्रिय रोस्टर में रहना था। उत्तरवादीगण ने इसके तहत उन्हें सौंपे गए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।इसने एकतरफा रुख अपनाया कि वर्ष 1999 में निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दायर किया गया है। पक्षकारों पर बाध्यकारी समझौते के प्रावधानों का पालन करने के लिए, उत्तरवादी की सद्भावना या अन्यथाता का आकलन इस तथ्य से किया जाना चाहिए कि उसने इसके तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था या नहीं।इस मामले में, न केवल यह ऐसा करने में विफल रहा और/या उपेक्षा की, बल्कि जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, इसने एक अपवित्र रुख अपनाया कि अपीलकर्ता का बड़ा भाई कार्यरत होने के कारण, वह

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं था।इस प्रकार, यह अनुमान लगाना कठिन है कि उत्तरवादी को अपीलकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने से इनकार करने के लिए वास्तव में किस बात ने प्रेरित किया।हम एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है, न केवल निष्पक्ष रूप से, बल्कि तर्कसंगत और सद्भावनापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा करते हैं।इस मामले में,

हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उत्तरवादी की कार्यवाही न तो निष्पक्ष है, न ही युक्तिसंगत और न ही सद्भावनापूर्ण है।"

11. उपर्युक्त विधिक चर्चा के मतहत, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा याचिकाकर्ता/उसके नामित व्यक्ति को नियुक्ति देने से इनकार करने की कार्यवाही, उसकी भूमि का अधिग्रहण करने और उसे बिना किसी विरोध या आपत्ति के क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद, उसके स्वामित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए और एक बड़ी भूल करने के बाद, नंद किशोर जायसवाल नामक व्यक्ति को नियुक्ति देने के बाद, जो याचिकाकर्ता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था, स्पष्ट रूप से अवैध और मनमानी है और इसमें दुर्भावना की बू आती है।उत्तरवादी ने अनुचित और अनुचित तरीके से काम किया है, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है। अधिग्रहण के समय, उत्तरवादीगण एसईसीएल ने स्पष्ट रूप से क्षतिपूर्ति जे के भुगतान के साथ–साथ भूमि के शीर्षक धारक या उनके परिवार के किसी सदस्य को उनकी पुनर्वास नीति के अनुसार नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति दिया है, उन्होंने नियुक्ति देने के अपने वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया है, जो "वचनबद्धता विबंधन" के सिद्धांत से प्रभावित है।उपर्युक्त चर्चा के तहत, **मेसर्स एडलवाइस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) और शिव कुमार भार्गव (सुप्रा)** के मामलों में उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और यहां लागू नहीं होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, दिनांक 06/07/2017 (अनुलग्नक पी/1) का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर 06/07/2017 की स्थिति के अनुसार विचार करें, अर्थात जिस दिन उसे एसईसीएल द्वारा पहली बार नियुक्ति देने से इनकार किया गया था और उसके पुत्र को नियुक्ति प्रदान की जाए और वह 06/07/2017 से परिणामी लाभों का हकदार होगा।

13.तदनुसार, इस रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur